झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

6756
5/8/16

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़ें :–

1. आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा का पत्रांक–207(A), दिनांक 14.06.2008
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–4681, दिनांक 04.08.2008, पत्रांक–5575, दिनांक 18.10.2008, संकल्प सं0–3166, दिनांक 13.06.2011, एवं संकल्प सं0–8598, दिनांक–30.12.2011
3. उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक–1869/गो0, दिनांक 15.06.2009
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी– सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–625, दिनांक 31.12.2015

श्री फिलबियूस बारला, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–703/03, गृह जिला– हजारीबाग) के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर चाईबासा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक–207(A), दिनांक–14.06.2008 द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं–

आरोप सं0–1. आपके द्वारा बिना उपायुक्त के अनुमोदन एवं स्वीकृति के सदर अंचल, चाईबासा में कार्यरत राजस्व कर्मचारी एवं अमीन की प्रतिनियुक्ति खास महाल लीज नवीकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु किया गया, जिसकी न तो अनुमति आपके द्वारा उपायुक्त से ली गई और न ही इसके अनुमोदन हेतु कोई पत्राचार किया गया। इस संदर्भ में उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर आपके द्वारा बिहार सेवा संहिता एवं बोर्ड प्रक्रीण नियमावली का संदर्भ करते हुये अमर्यादित भाषा में पत्राचार कर उपायुक्त को सुझाव देते हुये स्वयं के निर्गत आदेश को उचित करार देने की कोशिश की गई, जो आपके उदण्डता का परिचायक था। इस प्रकार का पत्राचार कर उपायुक्त को भ्रमित करने की कोशिश की गई। यह आपके स्तर के पदाधिकारी द्वारा किया गया पत्राचार कदाचार की श्रेणी में आता है।

आरोप सं0–2. आवास आवंटन संबंधी आपके द्वारा उपायुक्त, चाईबासा के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया गया वह न केवल अमर्यादित था बल्कि इससे आपके द्वारा उच्चाधिकारी के साथ पत्राचार की मर्यादा का उल्लंघन कर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा भी आपके विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया कि उच्च

पदाधिकारियों के साथ पत्राचार करने में आपके द्वारा कोई अनुशासन नहीं बरता जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस संदर्भ में आपको चेतावनी भी दी गई।

आरोप सं0–3. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा परीक्षा विधि–व्यवस्था कार्य संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति आदेश को लेने से इंकार किया गया, जो विधि–व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्य की अवहेलना एवं उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है। संदर्भित विषय पर उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर स्पष्टीकरण का उत्तर न देते हुए विषय वस्तु से हट कर अनावश्यक पत्राचार किया गया एवं स्वयं की उपलब्धियों का बखान किया गया, जो न केवल अनुशासनहीनता का परिचायक है बल्कि इससे अपकी कार्यशैली भी परिलक्षित हुई। आपके स्पष्टीकरण को अनुचित करार दिया गया।

आरोप सं0–4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा खास महाल लीज नवीकरण/नामांतरण संबंधी अभिलेखों में प्रक्रिया का अनुपालन न कर नियम का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमोदन के लीज नवीकरण संबंधी अभिलेख सीधे अपर उपायुक्त को भेजी जाती है, जिससे न केवल स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन का मामला बनता है बल्कि इससे आपके स्वच्छंद एवं मनमाने कार्यशैली का भी प्रदर्शन होता है, जो एक सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। संदर्भित विषय पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु किए गए पत्राचार के क्रम में आपके द्वारा जिस भाषा में जवाब दिया गया ऐसी भाषा के लिए आप सक्षम नहीं हैं। उपायुक्त के द्वारा भी खास महाल लीज नामांतरण/नवीकरण संबंधी अभिलेख में नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संचिका की कार्रवाई का आदेश दिया गया परन्तु आपके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया, जो यह दर्शाता है कि आपको उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश की कोई परवाह नहीं है।

आरोप सं0–5. कार्यालय के आवास आवंटन संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर बिना उनकी अनुमति के नगर निकाय चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त प्रेक्षक को आवंटित कमरा हठ कर आपके द्वारा कब्जा किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा से अनावश्यक पत्राचार किया गया। इस संदर्भ में स्थानीय समाचार पत्रों में भी आपके द्वारा बयानबाजी की गई, जो आपके स्तर के पदाधिकारी के लिए न तो उचित था और न ही इसके लिए आप सक्षम थे।

आरोप सं0–6. विशेष पदाधिकारी, चाईबासा के रूप में पदस्थापित कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा नगरपालिका मद से वेतन के रूप में 65,231.00 रू0 का अग्रिम लिया गया था। इस संदर्भ में विशेष पदाधिकारी, चाईबासा के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा उपायुक्त, चाईबासा को सूचित किए जाने के क्रम में उपायुक्त, चाईबासा द्वारा संदर्भित विषय पर लिए गए अग्रिम का समायोजन करने हेतु निदेशित किए जाने पर उपायुक्त के समक्ष जो पत्र आपके द्वारा प्रेषित किया गया व न केवल आशिष्ट भाषा में था, बल्कि इस प्रकार के पत्राचार के लिए आप सक्षम नहीं थे।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–4681, दिनांक–04.08.2008 द्वारा श्री बारला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक–01/स्पष्टीकरण, दिनांक–21.08.2008 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री बारला के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–5575, दिनांक–18.10.2008 द्वारा उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–1869/गो0, दिनांक–15.06.2009 द्वारा उपलब्ध कराये मंतव्य में इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया। अतः विभागीय संकल्प सं0–3166, दिनांक–13.06.2011 द्वारा श्री बारला के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा0प्र0से0, तत्कालीन सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः, संकल्प सं0–8598, दिनांक–30.12.2011 द्वारा श्रीमती सिन्हा के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–625, दिनांक 31.12.2015 द्वारा श्री बारला के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच–प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् हैं–

आरोप सं0–1 पर बचाव–बयान– तत्कालीन उपायुक्त श्री महेश प्रसाद सिन्हा द्वारा शीघ्र निष्पादन के संबंध में कभी भी समुचित मार्ग निर्देश नहीं दिया गया और पूर्व पदस्थापित प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा लंबित अभिलेखों के निष्पादन नहीं करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब श्री बारला द्वारा त्वरित निष्पादन की कार्रवाई प्रारंभ की गई तो आरोप लगाकर प्रपत्र– 'क' गठित कर भेज दिया गया। यह कार्रवाई उपायुक्त के स्तर पर पूर्वाग्रह को परिलक्षित करता है। वृहत् पैमाने पर लीज नवीकरण अभिलेख लंबित रहने तथा राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति होने के कारण एवं पत्र सं0–8/खा0म0–5–1100/82–2730,

दिनांक 09.07.1982, पत्र सं0–खा0म0 विविध/95– 213/रा0, दिनांक 29.01.96 तथा पत्र सं0–8/खा0म0 नीति–8/97(खंड–1)– 644/रा0, दिनांक 15.04.99 एवं श्रीमती लक्ष्मी सिंह, सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के राजस्व शाखा का दिनांक 22.10.2002 को किये गये निरीक्षण की टिप्पणी ज्ञापांक–33(बी0)रा0, दिनांक 15.01.2003 के अनुपालन में उनके द्वारा अभिलेखों का निष्पादन लोकहित एवं राज्यहित में किया गया।

आरोप सं0–2 पर बचाव–बयान– श्री बारला का कहना है कि आरोप में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन–सा पत्राचार अमर्यादित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर चाईबासा के रूप में अधिसूचित होने के फलस्वरूप श्री बारला द्वारा दिनांक 02.01.2008 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया था। प्रभार ग्रहण के पश्चात् आवास आवंटन हेतु उनके द्वारा आवेदन पत्रांक–01/आवंटन, दिनांक 03.01.2008 दिया गया। उपायुक्त के पत्रांक–13(बी0), दिनांक 10.01.2008 से दण्डाधिकारी कॉलोनी स्थिति सरकारी आवास सं0–01 श्री बारला को आवंटित किया गया। यह आवास उपायुक्त के आदेश से स्थापना उप समाहर्त्ता, प0 सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक–282(बी0)/स्था0, दिनांक 14.06.2006 से श्री बी0 अबरार, जिला योजना पदाधिकारी, चाईबासा को आवंटित था। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना सं0–11334, दिनांक 18.12.2007 से श्री अबरार का स्थानांतरण जिला योजना पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर किया गया था। उक्त पद पर दिनांक 17.12.2007 को योगदान करने की लिखित सूचना उपायुक्त, सिमडेगा को श्री अबरार के द्वारा दिनांक 03. 01.2008 को दी गई। चाईबासा का प्रभार इनके द्वारा दिनांक 02.01.2008 को सौंपा गया तथा उक्त आवास को खाली करने की सूचना दिनांक 31.03.2008 को दिया गया। श्री अबरार द्वारा अनधिकृत रूप से श्री बारला को आवंटित आवास सं0–1 को अपने प्रतिस्थानी श्री श्रीनिवास को कब्जा करा दिया गया था। दिनांक 10.04.2008 को श्री बारला उक्त आवास में प्रवेश कर पाये। इस प्रकार श्री अबरार का उक्त आवास पर अनधिकृत कब्जा दिनांक 10.01.2008 से 09.04.2008 तक रहा। उपायुक्त द्वारा तीन माह तक उक्त आवास पर रखे गये अनधिकृत कब्जा को मुक्त नहीं कराने के कारण श्री बारला द्वारा आवास में प्रवेश हेतु पत्राचार करने के लिए बाध्य किया गया। इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप निराधार है।

आरोप सं0–3 पर बचाव–बयान– श्री बारला का कहना है कि वे अपने कार्यालय में न्यायालय कार्य की कार्यवाही में व्यस्त थे, जिसमें अधिवक्ता के द्वारा वाद पर बहस की सुनवाई की जा रही थी। इसी समय लगभग 10:50 बजे पूर्वाह्न में विधि–व्यवस्था प्रतिनियुक्ति